न्यायालय विशेष न्यायाधीश(एस०सी०/एस०टी० एक्ट),
सन्त कबीर नगर।

UPSK010029002022

जमानत प्रार्थना पत्र संख्या–1373/2022

1.सोनू सिंह, उम्र करीब–30 साल, पुत्र–शोभा सिंह
निवासी–भिलोरा, थाना–गीडा, जिला–गोरखपुर

.....आवेदक/अभियुक्त

मु०अ०सं०–71/2022
धारा–457, 380, 411, 413, 414 IPC
व 25 भारतीय तार अधि०
थाना–को०खलीलाबाद, जिला–संत कबीर नगर।

<u>निस्तारण जमानत प्रार्थना पत्र</u>

आवेदक/अभियुक्त **सोनू सिंह** द्वारा उपरोक्त मामले में यह जमानत प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया गया। प्रार्थना पत्र शपथ पत्र से समर्थित है।

अभियोजन कथानक के अनुसार दूर संचार ए०टी०सी० मोबाइल टावर जिसकी साइड आई०डी०–555574 ग्राम जोरवा के प्राथमिक विद्यालय के पास में स्थित है, जिसका देखरेख व संचालन कार्य वादी मुकदमा महेन्द्र कुमार शुक्ल द्वारा किया जाता है। दिनांक 21.01.2022 को रोज की भांति सुबह 8:45 बजे साइड पर पहुंचे तो देखा कि सटर रूम का ताला तोड़कर अज्ञात व्यक्ति के द्वारा टावर के बैटरी बैंक से 24 सेल निकाल लिया गया है। यह घटना दिनांक 20.01.2022 की रात में घटित हुई है। इस घटना से कम्पनी का भारी आर्थिक क्षति हुई है। दौरान विवेचना आवेदक/अभियुक्त का नाम प्रकाश में आया।

आवेदक/अभियुक्त के विद्वान अधिवक्ता तथा विद्वान विशेष लोक अभियोजन अधिकारी को सुना तथा सुसंगत पुलिस प्रपत्रों व पुलिस द्वारा प्रेषित आख्या का अवलोकन किया।

आवेदक/अभियुक्त की तरफ से यह तर्क प्रस्तुत किया गया है कि प्रार्थी का यह प्रथम जमानत प्रार्थना़ पत्र है। इस जमानत प्रार्थना पत्र के अतिरिक्त कोई प्रार्थना पत्र किसी न्यायालय अथवा माननीय उच्च न्यायालय में न तो प्रस्तुत किया है और न ही विचाराधीन है। प्रार्थी बिल्कुल बेगुनाह है। महज हैरान व परेशान करने की गरज से झूठे मुकदमें में फर्जी तरीके से कारगुजारी दिखाने के उद्देश्य से अभियुक्त बना दिया गया है। प्रार्थी का तथाकथित घटना से कोई वास्ता सरोकार नहीं है। प्रार्थी के पास से कोई बरामदगी नहीं हुई है न ही प्रार्थी ने चोरी किया है न ही कोई भी चोरी की सम्पत्ति का व्यापार किया है न तो करता है और न ही चोरी का सामान छिपाने में सहायता किया है। तथाकथित बरामदगी का कोई स्वतंत्र साक्षी नहीं है। फरारी का कोई अन्देशा नहीं है। आवेदक संभ्रान्त परिवार का समाज सेवा से जुड़ा हुआ सम्भ्रान्त नागरिक है। कानून कायदे का पालन करने को करिबद्ध है। उक्त वर्णित तथ्यों के आधार पर जमानत पर रिहा किये जाने की माँग की गयी है।

विशेष लोक अभियोजक द्वारा जमानत प्रार्थना पत्र का विरोध करते हुए तर्क प्रस्तुत किये गये है कि आवेदक/अभियुक्त की गैंग है। वह मोबाइल टावरों से बैटरी चुराने का कार्य करता है और उसे बेचकर धनार्जन करता है। प्रार्थी द्वारा अन्य सह अभियुक्त के साथ

मिलकर शटर रूम का ताला तोड़कर टावर के बैंक से 24 सेल निकाल लिया। उक्त तर्कों के आधार पर जमानत प्रार्थना पत्र को निरस्त करने का निवेदन किया गया है।

उभय पक्षों के विद्वान अधिवक्तागण को सुना तथा पत्रावली का सम्यक परिशीलन किया।

पत्रावली के अवलोकन से स्पष्ट है कि आवेदक/अभियुक्त के पास से कोई बरामदगी नहीं हुई है, प्रार्थी मौके से गिरफ्तार भी नहीं हुआ है। घटना का कोई चक्षुदर्शी साक्षी नहीं है। प्रकरण में सह अभियुक्तगण सूरज हरिजन व विकास गुप्ता का अग्रिम जमानत प्रार्थना पत्र सत्र न्यायाधीश द्वारा पूर्व में स्वीकार किया जा चुका है। आवेदक दिनांक 12.10.2022 से जेल में निरूद्ध है। उपरोक्त तथ्य एवं परिस्थितियों में अपराध की प्रकृति, गंभीरता तथा कथित अपराध में अभियुक्त की भूमिका को विचार में लेते हुए, गुण दोष पर कोई मत व्यक्त किये बगैर, प्रश्नगत जमानत प्रार्थना पत्र स्वीकार किये जाने योग्य है।

आदेश

आवेदक/अभियुक्त **सोनू सिंह** द्वारा **एक लाख रुपये** के **व्यक्तिगत बंधपत्र** तथा समान धनराशि के **दो सक्षम प्रतिभू** दाखिल करने पर, संबंधित मजिस्ट्रेट की सन्तुष्टि पर, निम्न शर्तों के अधीन कि–

1. अभियुक्त प्रत्येक नियत तिथि पर न्यायालय के समक्ष व्यक्तिगत रूप से उपस्थित रहेगा,
2. अभियुक्त अभियोजन साक्षियों पर अनावश्यक दबाव नहीं डालेगा,
3. अभियुक्त विचारण में पूर्ण रूप से सहयोग करेगा,

अभियुक्त को जमानत पर रिहा किया जाए।

(दिनेश प्रताप सिंह)
जे०ओ०कोड–UP01531
विशेष न्यायाधीश (एस०सी०/एस०टी०) एक्ट,
सन्त कबीर नगर।

दिनांक–28.10.2022

Digitally signed by DINESH PRATAP SINGH
Date: 2022.10.28 16:35:32 IST
Reason: Document Owner
Location: District and Sessions Court